

सा.का.नि. (अ.) केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 27/2011-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. सं0 153 (अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,--

- (i) क्रम सं0 24क के सामने, स्तंभ (4) में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, “20%” प्रविष्टि रखी जाएगी ; और
- (ii) क्रम सं0 24ख के सामने, स्तंभ (4) में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर “20%” प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना सं. 27/2011- सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 153 (अ) तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 3/2014-सीमाशुल्क, तारीख 27 जनवरी, 2014 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 64(अ) तारीख 27 जनवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।